



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-35

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 260172 दिनांक 08/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Aaryan Rajvanshi S/o Umang rajvanshi	श्री शिवपाल सिंह राजवात पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह राजावत	225	162.00 SQ. METER	JDA	HARI ENCLAVE Sector/Block-	Issue Free Hold E- Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	श्री आर्यन राजवंशी पुत्र श्री उमंग राजवंशी द्वारा जविप्रा की आवासीय योजना हरि एनक्लेव के भूखण्ड सं. 225 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 02.05.2019 को श्री शिवपाल सिंह राजवात पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह राजावत के पक्ष में जारी की गयी थी। तत्पश्चात् श्री शिवपाल सिंह राजावत पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह राजावत ने रजि. विक्रय पत्र दिनांक 29.02.2024 के द्वारा श्रीमती गीता सोनी पत्नी श्री घनश्याम सोनी को विक्रय किया गया। तत्पश्चात श्रीमती गीता सोनी पत्नि श्री घनश्याम सोनी ने रजि. विक्रय पत्र दिनांक 28.05.2024 को आवेदक श्री आर्यन राजवंशी पुत्र श्री उमंग राजवंशी को बेचान किया गया है।
---	---	---	-----	---------------------	-----	----------------------------------	--	---



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Aaryan Rajvanshi S/o Umang rajvanshi को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |